सं0 1616/9–आ–3–97–38(विविध)/97

प्रेषक :

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 01 मई, 1997

विषय : नगर में व्यावसायिक तथा ग्रुप हाउसिंग के मानचित्रों की स्वीकृति में प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

नगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसके लिए आवासीय एवं जनसुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए बहुमंजिले निर्माण की आवश्यकता बढ़ गयी है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि व्यावसायिक व ग्रुप हाउसिंग मानचित्रों की स्वीकृति तत्परतापूर्वक एवं समयान्तर्गत दी जाये। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाये।

1. इस श्रेणी के मानचित्रों के सम्बन्ध में यद्यपि जांचोंपरान्त ही स्वीकृति दी जायेगी परन्तु 90 दिनों की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर, यदि आवेदक द्वारा स्वयं समय बढ़ाने की सहमति न दी हो, भवन मानचित्र स्वतः स्वीकृत माना जायेगा। ऐसे सभी मामलों में सम्बन्धित प्रभारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2. व्यावसायिक व ग्रुप हाउसिंग के मानचित्रों की स्वीकृति सुगम करने हेतु विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद स्तर पर सम्बन्धित विभागों की एक तकनीकी समिति उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त की अध्यक्षता में बनायी जाये, जो इन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु परीक्षण करेगी और स्वीकृति देगी। इस समिति में वे सभी विभाग आवश्यक रूप से शामिल होंगे जिनसे अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपेक्षित होते है। निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भी 90 दिन के अन्दर इस शर्त के साथ स्वीकृत कर दिये जायेंगे कि निर्माणकर्ता विकास प्राधिकरण व ऐसे विभाग, जिसकी अनापत्ति/आपत्ति नही प्राप्त हुई हो, को लिखित नोटिस प्राप्त करा कर अपने रिस्क पर 10 दिन बाद निर्माण प्रारम्भ करा सकता है, परन्तु उसे अनापत्ति हेतु अवशेष विभागों की अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। यह निर्माणकर्ता का दायित्व होगा कि वे अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें और उसमें लगायी गयी शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य करें। ऐसे भवनों को कम्पलीशन सर्टीफिकेट तभी दिये जायेंगे जब इन सभी विभागों की अनापत्ति निर्माणकर्ता द्वारा प्राप्त कर ली गयी हो। परन्तु चूंकि नगर भूमि सीमारोपण सम्बन्धी ''क्लीयरेंस'' वैधानिक आवश्यकता है इसलिए ऐसे मानचित्र प्राधिकरण/ परिषद में तभी स्वीकार किये जायेंगे जब वे नगर भूमि सीमारोपण द्वारा आपत्ति सहित होंगे।

3. ऐसे भवन जिनके लिए अग्निशमन विभाग के एन0आ0सी0 भी अपेक्षित हो, आवश्यक रूप से उपरोक्त तकनीकी समिति के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे, शेष के लिये समिति का माध्यम आवश्यक न होकर प्राधिकरण के विवेक पर होगा, यदि प्राधिकरण स्तर पर स्वीकृति की अन्य कोई सुविधाजनक व्यवस्था की गयी हो।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृष्ट सख्या : 1616(1)/9–आ–3–97, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध से प्रेषित है कि प्रस्तर–2 में उल्लिखित व्यवस्था के दृष्टिकोण वे यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण के सम्बन्ध में अनापत्ति/आपत्ति, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित समय में उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें।

(1) अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
(4) प्रदेश स्थित समस्त स्टेशन निदेशक, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण।

आज्ञा से,

दिवाकर त्रिपाठी
विशेष सचिव